न्यायालय :— अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :—365/2026
उत्पन्न गम्हरिया थाना काण्ड सं0—57/26

1. पप्पू राम उम्र लगभग 54 वर्ष पिता—कामेश्वर राम
साकिन—सूर्यगंज, वार्ड नं0—16, थाना—गम्हरिया जिला—मधेपुरा।
कारांधीन /अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार — विपक्षी

जमानत आदेश

06—07—2026 दिनांक—24.03.2026 से कारांधीन अभियुक्त पप्पू राम का जमानत आवेदन जो गम्हरिया थाना काण्ड सं0—57/26 अन्तर्गत धारा—126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु नारायण यादव द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिसके सूचिका ने ग्रामीण राजनीति के षडयंत्र रचकर बारगेनिंग करने के नियत से बनावटी केस में पुलिस द्वारा बिना सही जॉच पड़ताल किए अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक की ओर से पलटा मुकदमा वाद एस0सी0/एस0टी0 कांड संख्या—08/26 किया गया है। आवेदक के विरूद्व कोई घातक हथियार से प्रहार कर जख्मी करने का विशिष्ट अभियोग नहीं है इसलिए धारा—109 बी0एन0एस का अभियोग आवेदक के विरूद्व नहीं बनता तथा अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। आवेदक तथा सूचिका का पुत्र साथ साथ मजदूरी करते है तथा सूचिका का पुत्र मजदूरी का रूपया दलाली में कमीशन का पैसा रखता था उसे ही मॉगने पर दोनो में गरमागर्मी बहस हो गया तथा धक्का मुक्की में गिरने पड़ने से हल्का चोट अया परंतु उसे बढ़ाचढ़ाकर अस्पताल से इलाज कराकर आवेदक से ही कमीशन का पैसा मांगने लगा एवं उक्त तगादे को सूचिका का पुत्र बेज्जती होना समझकर आवेदक को केस में झूठा फंसा दिया। तथाकथित घटना बिल्कुल बनावटी है जिसमें तगादा करने से उल्टे आवेदक तथा बचाव पक्ष के लोगो का गाड़ी भी थाना को मैनेज कर जप्त करा दिया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नही है। आवेदक दिनांक—24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक न्यायालय के सभी निर्देशो के अनुपालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

—लगातार

न्यायालय :– अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–365/2026
उत्पन्न गम्हरिया थाना काण्ड सं0–57/26
–2–

लगातार
06–07–26

– अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि दिनांक 22.03.26 करीब 08:30 बजे संध्या में सूचिका के पुत्र विभाष लाल दास जो मिस्त्री का काम करता है उससे ठल्लो शर्मा, प्रदीप कुमार तथा बिट्टू राम मजदूरी का 200/– रूपया घर आकर मॉगने लगा तथा जिसपर विभाष बोला कि अभी नहीं है कल सुबह ले लीजिएगा तब तक वह सब गाली गलौज करने लगा उसके बाद पप्पू राम एवं अन्य दो अज्ञात व्यक्ति तीन मोटरसाइकिल से आया और उपरोक्त सभी मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा और जान मारने की नियत से सिर पर लोहे के रड़ से प्रहार किया जिससे वह काफी जख्मी हो गया। हल्ला सुनकर परिवार के लोग आये तो एक लड़का पप्पू राम को पकड़ लिए तथा घटना की जानकारी थाना को दिया जिसके बाद पुलिस आई और पकड़ाए व्यक्ति तथा तीन पल्सर मोटरसाइकिल पुलिस को सुपुर्द कर दिया तत्पश्चात् पास के प्रा0स्वा0 केन्द्र गम्हरिया ले जाकर सूचिका के पुत्र ग्रामीणों द्वारा इलाज कराया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज की गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पुत्र विभाषलाल दास के साथ मारपीट करने व लोहे के रड से सिर पर मारकर जख्मी कर देने का अभियोग है जिस क्रम में आवेदक को घटनास्थल पर ही तीन बाइक के साथ पकड़ लिया गया। अभियोग है कि तीनों बाइक से आये अपराधी लोग बाइक छोड़कर भाग गये। कांड दैनिकी के पारा–03 में सूचिका का पुनः बयान है तथा पारा–07, व 08 मे साक्षियों का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया है। आवेदक का एक आपराधिक इतिहास भी है। जख्मी विभाषलाल दास के सिर एवं होंठ पर जख्म पाया गया है जो कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है।

परंतु उपरोक्त तथ्यों के बावजूद अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उसी दिन की घटना को लेकर पलटा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है तथा आवेदक दिनांक 24.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000/–रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar
06.07.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।